कार्यवाही विवरण

(1.) मेसर्स श्रीमती हीरोबाई गोंड़ (देवडोंगर लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक–344 (पार्ट), 350/1, 350/2, 350/3, 351, 352, एवं 353, लीज एरिया–1.95 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–देवडोंगर, तहसील व जिला राजनांदगांव, (2.) मेसर्स श्रीमती नीलम पोद्दार (चंवरढाल लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक–391/1 (पार्ट), लीज एरिया–2.02 हेक्टेयर,खदान उत्खनन क्षमता–49,996 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (3.) मेसर्स श्रीमती पुष्पलता ओसवाल (चंवरढाल लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक–566/1, एवं 568, लीज एरिया–1.125 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (4.) मेसर्स श्री समीर पोद्दार (चंवरढाल लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक–391/1 (पार्ट), लीज एरिया–1.942 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–39,900 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (5.) मेसर्स देवडोंगर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अतुल गोयल), खसरा कमांक–342 (पार्ट), लीज एरिया–1.67 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–देवडोंगर तहसील व जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई हेतु दिनांक 21.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम पंचायत चंवरढाल भवन के प्रांगण में ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत (1.) मेसर्स श्रीमती हीरोबाई गोंड़ (देवडोंगर लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक–344 (पार्ट), 350/1, 350/2, 350/3, 351, 352, एवं 353, लीज एरिया–1.95 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–देवडोंगर, तहसील व जिला राजनांदगांव, (2.) मेसर्स श्रीमती नीलम पोद्दार (चंवरढाल लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक–391/1 (पार्ट), लीज एरिया–2.02 हेक्टेयर,खदान उत्खनन क्षमता–49,996 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (3.) मेसर्स श्रीमती पुष्पलता ओसवाल (चंवरढाल लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक– 566/1, एवं 568, लीज एरिया–1.125 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव, (4.) मेसर्स श्री समीर पोद्दार (चंवरढाल लाईम स्टोन माईन), खसरा कमांक–391/1 (पार्ट), लीज एरिया–1.942 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–39,900 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (5.) मेसर्स देवडोंगर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अतुल गोयल), खसरा कमांक–342 (पार्ट), लीज एरिया–1.67 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–देवडोंगर तहसील व जिला–राजनांदगांव के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावको के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली दिनांक 16.03.2022 एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक

16.03.2022 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 21.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थान–ग्राम पंचायत चंवरढाल भवन के प्रांगण में ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–राजनांदगांव, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चंवरढाल, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत डुमरडीहखुर्द, जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजनाओं के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजनाओं के संबंध में 01 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 21.04.2022 को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थान–ग्राम पंचायत चंवरढाल भवन के प्रांगण में ग्राम–चंवरढाल, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उक्त परियोजनाओं की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चन्द्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजनाओं के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री हेमनाथ, ग्राम–चंवरढ़ाल, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मेरा सुझाव है कि खदानों में ब्लास्टिंग के दौरान झण्डा आदि लगाया जाये, जिससे अड़चन न हो। गिट्टी–पत्थर, धरसा में रख देने से धरसा बन्द हो गया है, आने जाने में कठिनाई होती है। यहां खदान वाले हमारे मालिक बने हैं, उन्हीं से हमारी रोजी रोटी चल रही है। अगर ब्लास्टिंग नियंत्रित तरीके से किया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

2. **श्रीमती गीता वर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत, ग्राम–चंवरढ़ाल, जिला–राजनांदगांव।**

➢ वर्ष 2018–19 में गौण खनिज से प्राप्त खनिज राजस्व का वर्ष 2020–21 में पंचायतों को सवितरण में ग्राम पंचायत चंवरढाल में 7,81,310 रूपये जो कि गौण खनिज मद से राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम है अतः इसकी पुनः जांच की जाये। ग्राम चंवरढाल में आदिवासी सामुदायिक भवन के पास समतलीकरण कर पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाये। लीज पर लिये गये एरिया को कांटेदार लोहे की जाली से बाउण्ड्री का कार्य कराया जाये जिससे कि आदमी और जानवर दुर्घटना से बचाया जा सके। खदान में भरे पानी को कृषि कार्य के लिये किसानों को पानी की व्यवस्था किया जावे, ईधर–उधर पानी न बहाये, खदान की अपशिष्ट पदार्थ जैसे–धूल–डस्ट किसानों की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है जिससे कि फसल नुकसान हो रहा है। जिसे ध्यान में रखते हुए धूल डस्ट पर पानी का छिड़काव कराते रहे जिससे मानव जीवन एवं जीव–जंतुओं पर कोई असर न पड़े, उचित व्यवस्था करें। महोदय जी से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि उक्त बिन्दुओं पर ग्रामवासियों की मांग को पूरा कराने हेतु उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।

3. **श्रीमती मीना नेताम, ग्राम–देवडोंगर, जिला–राजनांदगांव।**

➢ ग्राम देवडोंगर एवं चंवरढाल में चूना पत्थर की खदानें संचालित है, जिसमें क्शर से पत्थर की पिसाई कर गिट्टी एवं जीरा गिट्टी बनाई जाती है तथा हाईवा–ट्रक से अन्यत्र सप्लाई किया जाता है। जिससे सड़क पूर्ण रूप से उखड़ गया है। सड़क के उखड़ जाने से गड्ढे बन चुके हैं। जिससे जन सामान्य को आन जाने में परेशानी हो रही है। ट्रकों के चलने से धूल ही धूल उड़ती है। अतः महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क के निर्माण/मरम्मत शासन करेगी या खदान संचालक। यदि सरकार/खदान संचालक, निर्माण/मरम्मत कार्य करेगी, तो कब तक होगी। धन्यवाद।

4. **श्री आशीष वर्मा, ग्राम–चंवरढ़ाल, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अतुल गोयल के खदान से मेरा फसल को नुकसान हो रहा है मुझे क्षतिपूर्ति दिलाने का कष्ट करें।

5. **श्रीमती रोहिणी दुबे, ग्राम–देवडोंगर, जिला–राजनांदगांव।**

- आज गांव में हमारे लिये भण्डारा खुला है तो काहे के लिये खुला है, इसे सेठ जी लोग एवं गांव वाले बतायेंगे, पहले इसके बारे में हम लोगों को पता नही चला था। आज ही पता चला है। इसका उत्तर हमें चाहिए। हम लोग मजदूर हैं, आज कल मशीनों से काम हो रहा है, जिससे कम लोगों को काम मिलता है।

6. **श्री रिखीराम मण्डावी , ग्राम– चंवरढ़ाल, जिला–राजनांदगांव।**

- मैं एक कृषक हूं, मैं गांव की समस्या लेकर आया हूं। हमारे गांव की सड़क जर्जर हो चुके हैं आवागमन में कठिनाई होता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, सड़क का मरम्मत करवाया जाये या जैसी व्यवस्था बने किया जाये। खदान में बोर ब्लास्टिंग होने से पहाड़ी पर स्थित मंदिर के दिवाल में ददार आ गया है। आसपास के घरों में दरार आ रहा है। अगर छोटी ब्लास्टिंग किया जाये तो दिवाल में दरार नही आयेगा। अतः मेरे दोनों समस्याओं का समाधान किये जाने का कष्ट करें।

7. **श्री अभिषेक मार्टिन, ग्राम–चंवरढ़ाल, जिला–राजनांदगांव।**

- खदान चालू होने से आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

8. **श्री श्रीकांत, ग्राम–देवडोंगर, जिला–राजनांदगांव।**

- खदान संचालित होने से हमें रोजगार मिल रहा है, मैं इन खदानों का समर्थन करता हूं।

9. **श्री आमिन खान, सभापति जनपद पंचायत राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव।**

- महोदय मेरा निवेदन है कि आप सभी ग्राम देवडोंगर की ओर जाने वाले रास्ते वापस जाये। वहां रोड की स्थिति कैसी है, अवश्य देखे। अशोक जी के खदान के समीप मवेशी आये दिन गड्ढा में गिर जाते हैं, उक्त खदान की लीज समाप्त होने के बावजूद वहां मवेशी गड्ढे में गिर रहे हैं। ग्राम पंचायत चंवरढाल को वर्ष 2018–19 में खनिज रायल्टी 8 लाख रूपये प्राप्त हुई है। यदि खनिज रायल्टी की गणना किया जाये तो वह राशि एक करोड़ से अधिक होगा। परन्तु सिर्फ 8 लाख रूपये प्राप्त हुआ है। इस पर आप जरूर विचार करें। अतुल गोयल माइन्स पर आपत्ति है, क्योंकि वह रोड से लगा हुआ है। खदान में 30–40 फीट गहरी ब्लास्टिंग की जाती है जिससे घरों में दारें आ रही है। कृपया इस संबंध में ध्यान दें। धन्यवाद

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावकों को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावकों की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट **श्री जगमोहन** चन्द्रा द्वारा परियोजनाओं के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ ब्लास्टिंग कार्य लाईट सैलो ब्लास्टिंग होगी।
- ❖ वृक्षारोपण लीज के किनारे तथा हॉलरोड में किया जायेगा। पंचायत से जमीन की मांग कर वृक्षारोपण किया जायेगा।
- ❖ खदान को चारो ओर से तार से घेरा जायेगा जिससे कोई जानवर खदान के आसपास न आ सके। खदान में भरे पानी को कृषि कार्य हेतु प्रदान किया जायेगा।
- ❖ रोड में जल छिड़काव किया जायेगा।
- ❖ सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर पालन किया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित मे 23 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 09 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका– टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 45 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर .... बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।
1.40 pm.

21/04/2022
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

21/4/22
अपर कलेक्टर
जिला–राजनांदगांव